

न्यायालय सिविल जज (जू0डि0) अनूपशहर, बुलन्दशहर।

मूलवाद सं0—142 / 2020

लोकेन्द्र चौधरी बनाम् प्रेमवीर आदि

दिनांक—23.09.2022

पत्रावली पेश हुई। आज यह पत्रावली प्रार्थना पत्र 6ग2 पर आदेश हेतु न्यायालय में नियत है। वादी एवं प्रतिवादीगण के विद्वान अधिवक्तागण को विस्तारपूर्वक पूर्व दिनांक पर सुना जा चुका है।

वादी द्वारा प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि वादी, प्रतिवादी द्वितीय पक्ष के साथ स्थित ग्राम मौजपुर परगना व तहसील अनूपशहर, जिला बुलन्दशहर के खसरा सं0 84स/1.466 है0 का मालिक काबिज संक्रमणीय भूमिधर काश्तकार है जिसको वाद पत्र के अन्त में दिये गये नक्शा नजरी में अक्षर अ, ब, स, द से प्रदर्शित किया गया है जिसे वादग्रस्त भूमि कहा जायेगा। महेन्द्रसिंह के शिजरा खानदान के अनुसार उनके पुत्र चन्द्रपाल सिंह का स्वर्गवास उनके जीवन काल में हो गया था अतः श्री महेन्द्रसिंह की मृत्यु के उपरान्त उनकी भूमि में उनके पत्नी प्रतिवादी नं0 5 व पुत्र प्रतिवादी नं0 4 पौत्र प्रतिवादी 1, 2, व पुत्रवधू प्रतिवादी नं0 3 का नाम बतौर वारिस दर्ज हुआ। प्रतिवादी प्रथम पक्ष ने अपने कुल 1/3 भाग का विक्रय वादी के हक में प्रथक प्रथक तिथियों पर कर दिया है अतः प्रतिवादी पक्ष का वादग्रस्त भूमि में कोई अधिकार शेष नहीं रहा है। प्रतिवादी नं0 1 प्रेमवीर ने अपने 1/9 अंश का विक्रय दिनांक 01.09.2018 को किया था प्रतिवादी नं0 2 ने अपने भाग का विक्रय दिनांक 24.01.2019 व 20.02.2019 को किया था प्रतिवादी नं0 3 ने अपने अंश का विक्रय दिनांक 25.03.2019 को किया था तीनों ने बैनामों की तिथि पर ही वादी को वादग्रस्त भूमि का कब्जा दे दिया था बैनामों की तिथि से ही वादी वादग्रस्त भूमि पर लगातार शान्तिपूर्वक काबिज रहकर कृषि करा रहा है इस समय मौके पर वादी द्वारा रोपित धान की फसल खड़ी है। प्रतिवादीगण प्रथम पक्ष को भूमि विक्रय करने के उपरान्त वादग्रस्त भूमि में किसी प्रकार का कोई अधिकार शेष नहीं रहा है लेकिन अब उनको वादी के विरोधी पक्ष ने उकसा दिया है और वह जबरन वादी की भूमि छीनना चाहते हैं। अतः यह प्रार्थना की गयी है कि दौरान वाद बहक वादीगण एवं प्रतिवादी द्वितीय पक्ष खिलाफ प्रतिवादीगण प्रथम पक्ष इस अमर का अस्थाई निषेधाज्ञा का आदेश पारित किया जावे कि प्रतिवादीगण प्रथम पक्ष स्वयं अथवा अपने निजी सहयोगियों की मदद से की वादग्रस्त भूमि स्थित ग्राम मौजपुर परगना व तहसील अनूपशहर जिला बुलन्दशहर के खेत नं0 84स रकवई 1.466 है0 जिसे वाद पत्र के अन्त में दिये गये नक्शा नजरी में अक्षर अ, ब, स, द से दर्शित किया गया है में वादी एवं प्रतिवादी द्वितीय पक्ष के शान्तिपूर्वक कब्जे में स्वयं या मार्फत दीगर सख्ख जबरन वादी की भूमि छीनकर फसल जोतकर वर्वाद करके या अन्य किसी प्रकार से कोई हस्तक्षेप न करें।

प्रतिवादी क्रमांक 01 ता 03 द्वारा आपत्ति कागज संख्या 26सी2 के माध्यम से इस आशय की प्रस्तुत की गयी है कि दिनांक 12/13.06.2016 की रात्रि को प्रतिवादी नं0 2 प्रवीन छत से गिर गया था जिससे उसकी टांग में फैंक्चर आया था जिसके लिए उसे अस्पताल में भर्ती किया था, पैसे की तुरन्त इलाज के लिए आवश्यकता थी, प्रतिवादी नं0 1 ने वादी के पिता अमरपाल सिंह से रूपयों के लिए कहा तो उन्होंने रूपये देने के लिए कह दिया, उपरोक्त अमरपाल सिंह ने प्रतिवादी नं0 1 से खेत नं0 84 स्थित ग्राम मौजपुर परगना व तहसील अनूपशहर जिला बुलन्दशहर की भूमि का दिनांक 15.06.2016 को एग्रीमेन्ट करा लिया। रूपये की और आवश्यकता हुई तो प्रतिवादी नं0 3 ने दिनांक 17.08.2017 को अपने हिस्से की भूमि का एग्रीमेन्ट कर दिया, ईलाज के लिए रूपयों की और आवश्यकता होने पर प्रतिवादी नं0 2 ने उपरोक्त

नं० की भूमि का अपने हिस्से की भूमि का दिनांक 26.02.2018 को एग्रीमेंट कर दिया। प्रतिवादी नं० 1 पर 1,00,000/— रूपया आया था और प्रतिवादी नं० 2 पर 1,20,000/— रूपया आया था, 1,40,000/— रूपया प्रतिवादी नं० 3 के खाते में ट्रान्सफर कर दिया था, बाद में अमरपाल सिंह ने कहा कि अब या तो रुपये दे दो या फिर भूमि का बैनामा मेरे हक में कर दो, रूपया मैं धीरे-धीरे 30 जून 2020 तक अदा कर दूंगा, कुल सौदा 30,00,000/— रुपये में हो गया था, 4,60,000/— रूपया प्रतिवादीगण प्रथमपक्ष पर आ चुका था यह भी तय हो गया था कि 30 जून 2020 तक पूरा रूपया अदा करने के बाद कब्जा भूमि पर दिया जाना था, उपरोक्त अमरपाल सिंह ने 1,19,000/— रुपये प्रतिवाद नं० 2 व 3 के शामिल खाते में लोन अदा करने हेतु जमा कर दिया था इसके अलावा कोई रूपया प्रतिवादीगण प्रथमपक्ष पर नहीं आया है, उपरोक्त अमरपाल सिंह ने प्रतिवादी नं० 1 से दिनांक 01.09.2018 को प्रतिवादी नं० 2 से 24.01.2019 को तथा 20.02.2019 को तथा प्रतिवादी नं० 3 से 25.03.2019 को बैनामा कर दिया है बैनामा अमरपाल सिंह ने अपने पुत्र उक्त वादी लोकेन्द्र चौधरी के हक में कराया है, प्रतिवादीगण प्रथमपक्ष के कुल 24,21,000/— रुपये वादी पर बाकी है, वादी भूमि पर कब्जा लेने की कोशिश कर रहा है प्रतिवादीगण प्रथमपक्ष ने अपने रुपये मांगे तो वादी ने दिनांक 06.08.2020 को रुपये देने से मना कर दिया है इस तरह से वादी प्रतिवादीगण प्रथमपक्ष के 24,21,000/— रुपये नहीं दे रहा है, वादी एवं उसके पिता अमरपाल सिंह आपस में साज किये हुए हैं, झगडा-फसाद करने पर आमादा हैं, प्रतिवादीगण प्रथमपक्ष को गन्दी-गन्दी गालियां दे चुके हैं तथा जान से मारने की धमकी दे चुके हैं। कथित बैनामा जाली, झूठे एवं फर्जी हैं कपट व धोखे पर आधारित हैं वादी एवं वादी के पिता प्रतिवादीगण प्रथमपक्ष के अत्यधिक नजदीकी व्यक्ति रहे हैं वादी एवं वादी के पिता प्रतिवादीगण प्रथमपक्ष के अत्यधिक नजदीकी व्यक्ति रहे हैं परन्तु अचानक वादी की नियत एवं वादी के पिता की नीयत खराब हो गयी है। प्रार्थना पत्र अल्पकालिक निषेधाज्ञा मेन्टेवल नहीं है तथा सव्यय खारिज होने योग्य है।

वादिनी की ओर से दस्तावेजीय साक्ष्य के रूप में फर्द सबूत 11सी1 से 12सी1, 15सी1 व 16सी1 नकल खतौनी तथा 13सी1 खसरा एवं 14सी1 नक्शा चकबंदी दाखिल किये गये हैं। फर्द सबूत 26सी1 से 37सी1 नकल वाद पत्र मूलवाद संख्या 197 सन 2020, कागज संख्या 38सी1 नकल वाद पत्र मूलवाद संख्या 196 सन 2020, कागज संख्या 39सी1 नकल वाद पत्र मूलवाद संख्या 195 सन 2020, कागज संख्या 40सी1 नकल वादपत्र मूलवाद संख्या 194 सप 2020 प्रस्तुत किये गये हैं।

प्रतिवादीगण द्वारा फर्द सबूत 41सी1 से कागज संख्या 42सी1 नकल इकरारनामा दिनांकित 17.08.2017, कागज संख्या 43सी1 नकल इकरारनामा दिनांकित 26.02.2018, कागज संख्या 44सी1 नकल इकरारनामा दिनांकित 15.06.2016 प्रस्तुत किये गये हैं।

अस्थाई व्यादेश का अनुतोष जारी करने के लिए तीन बिन्दुओं पर विचार किया जाना आवश्यक है। वे निम्नलिखित हैं:-

- 1— प्रथम दृष्ट्या केस
- 2— सुविधा का सन्तुलन
- 3— अपूर्णनीय क्षति

वादी द्वारा कथन किया गया है कि वादी, प्रतिवादी द्वितीय पक्ष के साथ स्थित ग्राम मौजपुर परगना व तहसील अनूपशहर, जिला बुलन्दशहर के खसरा सं० 84स/1.466 है० का मालिक काबिज संक्रमणीय भूमिधर काश्तकार है जिसको वाद पत्र के अन्त में दिये गये नक्शा नजरी में अक्षर अ,ब,स,द से प्रदर्शित किया गया है जिसे वादग्रस्त भूमि कहा जायेगा। वादी का कथन है कि प्रतिवादीगण प्रथम पक्ष ने अपने

कुल 1/3 भाग का विक्रय वादी के हक में पृथक-पृथक तिथियों पर कर दिया है। अतः प्रतिवादीगण प्रथम पक्ष का वादग्रस्त भूमि में कोई अधिकार शेष नहीं रहा। प्रतिवादीगण प्रथम पक्ष ने अपनी आपत्ति में यह कथन किया है कि प्रतिवादी नम्बर 01, प्रतिवादी नम्बर 02 तथा प्रतिवादी नम्बर 03 ने वादी के पिता अमरपाल सिंह से पैसे की आवश्यकता के कारण एग्रीमेंट किया था। उसके बाद प्रतिवादी 01 से दिनांक 01.09.2018 को, प्रतिवादी नम्बर 02 से दिनांक 24.02.2019 एवं दिनांक 20.02.2019 को तथा प्रतिवादी नम्बर 03 से दिनांक 25.03.2020 को बैनामा वादी लोकेन्द्र के हक में कराया गया। वादी द्वारा कागज संख्या 12सी1, 15सी1 एवं 16सी1 नकल खतौनी दाखिल की गयी है जिसमें गाटा संख्या 84स रकवा 1.4660हे0 में प्रतिवादीगण के नाम दर्ज हैं तथा परिवर्तन कॉलम में बैनामा के आधार पर प्रतिवादीगण द्वितीय पक्ष के स्थान पर वादी का नाम दर्ज हुआ है। प्रतिवादीगण ने उक्त बैनामों की बात स्वीकार की है तथा यह कथन किया है कि उपरोक्त बैनामों फर्जी हैं। वादी द्वारा प्रस्तुत किये गये कागज संख्या 37सी1, 38सी1, 39सी1 एवं 40सी1 उन मूलवादों के वाद पत्र की प्रतियां हैं जो प्रतिवादीगण प्रथम पक्ष द्वारा प्रश्नगत बैनामों के निरस्तीकरण हेतु वादी के विरुद्ध संस्थित किये गये हैं। मौके की स्थिति के लिए अमीन आख्या कागज संख्या 35सी2 पत्रावली पर उपलब्ध है जिसमें विवादित स्थल को ए,बी,सी,डी, से प्रदर्शित किया गया है तथा इसकी चौहद्दियां अंकित की गयी है। प्रस्तुत मामले में यह स्पष्ट है कि प्रतिवादीगण प्रथम पक्ष द्वारा कुछ बैनामों गाटा संख्या 84स/1.4660हे0 के सम्बन्ध में वादी के पक्ष में किये गये। इन बैनामों के आधार पर राजस्व प्रपत्रों में वादी का नाम अंकित हुआ है। यद्यपि उपरोक्त बैनामों की वैधता स्पष्ट नहीं है क्योंकि इनके निरस्तीकरण के सम्बन्ध में वाद न्यायालय में विचाराधीन है। बैनामों की वैधता का निर्धारण वाद में साक्ष्य आने के उपरान्त ही किया जा सकता है। प्रस्तुत मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों के आधार पर न्यायालय के मत में विवादित स्थल पर दोनों पक्षकार द्वारा यथास्थिति बनाये रखना आवश्यक है। क्योंकि विवादित स्थल पर स्वामित्व एवं अध्यासन का वास्तविक निर्धारण साक्ष्य आने के उपरान्त ही किया जा सकता है।

इस सम्बन्ध में यदि आदेश 39 नियम 1 सी.पी.सी. के प्रावधान के उद्देश्य को देखा जाए तो न्यायालय की यही मंशा है कि किसी भी वाद में विवादित सम्पत्ति व पक्षकारों के सम्पत्ति में निहित हितों को संरक्षित एवं सुरक्षित रखा जाए। यहां पर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि व्यवस्था **एम. इस्माइल फारूकी**

बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया ए.आई.आर. 1995 एस.सी.सी. 605 में

प्रतिपादित किया गया है कि "status quo is the usual order made during the pendency of a Hispute for preserving the property and for protecting the interests of the true owner till adjudication. A change in the existing situation fraught with the danger of prejudicing in the right of the true owner yet to be determined, As the maintenance of the Status quo during the pendency of the suit is necessary so that the disputed property can be handed over to its true owner found and entitled to it after the decision of the suit"उपरोक्त समस्त विश्लेषण के आधार पर न्यायालय के मत में प्रस्तुत मामले में तथ्यों, परिस्थितियों एवं विवादित सम्पत्ति के संरक्षण एवं पक्षकारों के हितों को दृष्टिगत करते हुये विवादित सम्पत्ति पर वाद के अन्तिम निस्तारण तक यथास्थिति बनाये रखना

न्यायोचित है।

आदेश

प्रार्थना पत्र 6ग2 निस्तारित किया जाता है। उभयपक्ष को आदेशित किया जाता है कि वे गाटा संख्या 84स रकवा 1.4660हे0 स्थित गांव मौजपुर, परगना व तहसील अनूपशहर, जिला बुलन्दशहर, जिसे वाद पत्र में अक्षर अ,ब,स,द से दर्शाया है, पर वाद के अन्तिम निस्तारण तक यथास्थिति बनाये रखे। पत्रावली वास्ते वाद बिन्दु विरचन हेतु दिनांक 06.10.2022 को पेश हो।

(योगेश शिवा)
सिविल जज जू0डि0,
अनूपशहर, जिला बुलन्दशहर।
JO Code 2478